

प्रमाण पत्र.

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह काँवड़ मार्ग के नये निर्माण हेतु गंगा नहर की दांयी पटरी के कि०मी० 108.750 से कि०मी० 151.050 की 84.600 है० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया है तथा प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम- 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

08/7/21
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

(सी०पी० सिंह)
अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग,
मेरठ।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र,
मेरठ।